फर्द अहकाम
छोटूराम बनाम महादेव

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 58/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/25	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार तूंगा के पत्रांक/2025/1576 दिनांक 21/04/2025 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट एवं दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर चिंतन एवं मनन के पश्चात हम पाते हैं कि तहसीलदार तूंगा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक वादीगण का वाद बाबत विभाजन अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/5/25 सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 58/2019 (60/2018)
जीसीएमएस नम्बर :-2019/00231

सेडूराम पुत्र रामसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम पीलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हालवासी प्लाट नम्बर 70, तेजाजी नगर, महेश नगर के पास, जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।

----वादी

-: बनाम :-

1- महादेव आयु 70 वर्ष, पुत्र रामसहाय, जाति जाट निवासी ग्राम पीलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, हालवासी प्लाट नम्बर 31. तेजाजी नगर महेश नगर के पास जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

2- लक्ष्मीनारायण आयु 55 वर्ष, पुत्र रामसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम पीलिया, तहसील बस्सी जिला जयपुर, हालवासी प्लाट नम्बर 264 श्रीगोपाल नगर महेश नगर के पास जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान के स्थान पर तहसीलदार, तूंगा के पत्रांक/2025/1576 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक अराघना लैंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर रामरखानी पुत्र देव कुमार जाति सिंधी, निवासी ए-18, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर राजस्थान।

3- तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

----- प्रतिवादीगण

4- बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पालावाला जाटान।

5- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी।

----- फोरमल प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः-
1- श्री रामगोपाल शर्मा अभिभाषक वादी
2- श्री सुधीर शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी

30/5/25
सहा. कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

-:निर्णय:-

दिनांक 30.05.2025

संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 07.09.2018 को एक दावा बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 10.09.2018 को दावा संख्या 60/2018 बउनवानी सेडूराम बनाम महादेव वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

तत्पश्चात राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में क्षेत्राधिकार परिवर्तन के आधार पर उक्त पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः नवीन वाद नम्बर 58/2019 बउनवानी सेडूराम बनाम महादेव वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि राजस्व ग्राम पीलिया पटवार हल्का खतैपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवगांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंम्बर 67 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण के हिस्सा 1/3 का वादी एवं शेष 2/3 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 रिकार्डेड एवं खातेदार काश्तकार है इस प्रकार का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 में दर्ज है उपरोक्त आराजीयात् को आगे चलकर वादग्रस्त आराजीयात् के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने मनबंट अनुसार कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये सरस नरस के आधार पर (बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स) आने जाने के रास्ते को,/सिंचाई के साधनों को ध्यान में रखते हुये विभाजन कर रखा है एव विभाजन अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ करने, तार फैन्सिंग करने, सिचाई के साधन का उपयोग उपभोग करने में काफी समस्या का सामना करना पड रहा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को वादग्रस्त आराजी का तहसील में चलकर उपरोक्त अनुसार विभाजन करने के लिये निवेदन किया तो पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 आश्वासन पर आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 04/09/2018 को विभाजन कराने से स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया जिसे वादकारण उत्पन्न हुआ एवं वादकारण उत्पन्न होने से अन्दर मियाद वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी इस आशय की विभाजन की डिक्री जारी करवाने का हक व अधिकारी है कि ग्राम पीलिया, पटवार हल्का खतैपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवगांव, तहसील बस्सी

कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंम्बर 67 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण के हिस्सा 1/3 का वादी के हक में एव शेष 2/3 हिस्से का प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 2 के हक में मनबंट अनुसार कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुये सरस नरस के आधार पर (बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स)/आने जाने के रास्ते को/सिंचाई के साधनो को ध्यान में रखते हुये विभाजन किया जावे एंव विभाजन उपरान्त खाता व लगान पृथक-पृथक कायम करने के तहसीलदार तहसील बस्सी को निर्देश प्रदान करें।

दौराने दावा प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें, वादी के उपयोग उपभोग, फसल काश्त, सिंचाई के साधन, आने जाने के रास्ते में मदाखलत, मजामहत नहीं करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, वादग्रस्त आराजी का दौराने दावा रहन बय, विक्रय बख्शीश नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 3 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के लिये पाबन्द फरमाया जावे।

फोरमल प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 5 के यहाँ वादग्रस्त आराजी गिरवी रखी हुई है इसलिये पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

इस्तदुआ निम्न है- (क) वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 इरा आशय की विभाजन की डिक्री फरमायी जावे कि ग्राम पीलिया, पटवार हल्का खतैपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र देवगांव, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंम्बर 67 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण के हिस्सा 1/3 का वादी के हक में एवं शेष 2/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के हक में मनबंट अनुसार कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुये सरस नरस के आधार पर (बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स) / आने जाने के रास्ते को/ सिचाई के साधनों को ध्यान में रखते हुये विभाजन किया जावे एवं विभाजन उपरान्त खाता व लगान पृथक पृथक कायम करने के तहसीलदार तहसील बस्सी को निर्देश प्रदान करें।

30/5/25
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

(ख) दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें, वादी के उपयोग उपभोग, फसल काश्त, सिचाई के साधन, जाने जाने के रास्ते में गदाखलत, मजाहमत नहीं करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, वादग्रस्त आराजी का दौराने दावा रहन, बय, विक्रय, बख्शीश नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 3 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के लिये पाबन्द फरमाया जावे।

(ग) वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 से वाद खचा दिलवाया जावे।
इत्यादि ।

न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2018 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस करने के आदेश पारित किये गये। डिस्पेच नम्बर 3601/14.09.2018 द्वारा नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.03.2019 को प्रतिवादी नम्बर 5 की ओर से श्री विकास कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 15.03.2019 को सभी पक्षकारो की तामील जरिये रजि0 ए.डी. से करवाने की डाक रसीदे शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री सुधीर शर्मा एडवोकेट द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाबदावा में वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का कथन वादी ने वास्तविक तथ्यो को छिपाकर दावा पेश किया है इस कारण अस्वीकार है। क्योंकि वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 ने दावा दायरी से पूर्व ही भूमि वादग्रस्त का मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया था एवं उसके मुताबिक ही वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 अपने अपने हिस्से की एकजाई भूमि पर मौखिक विभाजन के आधार पर काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी स 2 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त भूमि वादग्रस्त का आपसी सहमति से रिकार्ड में विभाजन पूर्व में मौखिक रूप से हुये विभाजन के मुताबिक न्यायालय तहसीलदार बस्सी से विभाजन करवाने हेतु कहा गया तो वादी ने इन्कार कर दिया एवं पूर्व में ही भूमि वादग्रस्त का विभाजन मौखिक रूप से हो जाने के बावजूद पुनः विभाजन करवाने हेतु उक्त वाद पत्र पेश कर दिया जो कि कानूनन चलने योग्य नहीं हैं।

वादी ने प्रतिवादी सं 2 को दिनांक 4.9.2018 को भूमि वादग्रस्त का आपसी सहमति से व पूर्व मै मोखिक रूप से हो रखे विभाजन के मुताबिक विभाजन तहसीलदार बस्सी के न्यायालय से करवाने हेतु नहीं कहा था एवं प्रतिवादी सं 2 वर्तमान में भी पूर्व में वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के मध्य मौखिक रूप से हो रखे विभाजन के मुताबिक भूमि वादग्रस्त का विभाजन तहसीलदार बस्सी के न्यायालय से करवाने हेतु सहमत है। इस कारण वादी को उक्त वाद का कोई वादकारण दिनाक 4.9.2018 की झूठी घटना के आधार पर उत्पन्न नहीं हुआ है।

30/5/25
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला–जयपुर

वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य भूमि वादग्रस्त का विभाजन मौखिक रूप से दावा दायरी से पूर्व ही विभाजन हो रखा है एवं उक्त पूर्व मे हो रखे विभाजन से विपरीत वादी भूमि वादग्रस्त का विभाजन करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं है एवं प्रतिवादी स 2 भूमि वादग्रस्त का कब्जे के मुताबिक एवम पूर्व में मौखिक रूप से हो रखे विभाजन के मुताबिक विभाजन करवाना चाहता है।

वादी कानूनन प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कानूनन रहन रखी हुयी भूमि का विभाजन रहन मुक्त नहीं हो जाने तक विभाजन नहीं करवाया जा सकता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य दावा दायरी से पूर्व ही भूमि वादग्रस्त का मौखिक रूप से कब्जे के मुताबिक विभाजन हो रखा है।

वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है। क्योंकि भूमि वादग्रस्त का विभाजन वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के मध्य आपसी सहमती से एवं मौखिक रूप से दावा दायरी से पूर्व ही विभाजन हो रखा है इस कारण वादी उक्त पूर्व मे हो रखे मौखिक विभाजन के विपरीत व कब्जे के विपरीत विभाजन करने हेतु उक्त वाद पत्र पेश किया है एवं अनुतोष क्लेम किया गया है एवं वादी को उक्त वाद पत्र का कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है एवं वादी का वाद पत्र विधि के प्रावधानो के विपरीत पेश किया गया है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी के वाद पत्र को खारीज फरमाया जाये।

काउण्टर क्लेम में इस आशय का कथन किया कि भूमि वादग्रस्त खसरा नं. 64 रकबा 0.50 है, खसरा नं. 65 रकबा 0.80 है, खसरा नं. 66 रकबा 0.05 है, खसरा नं. 67 रकबा 0.04 है, खसरा नं. 68 रकबा 231 है, खसरा नं. 69 रकबा 0.50 है, खसरा नं. 70/1 रकबा 0.08 है, कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हेक्टेयर वाके ग्राम पीलिया, पटवार हल्का खतैपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भूमि वादग्रस्त का मौखिक रूप से व आपसी सहमती से विभाजन दावा दायरी से पूर्व ही कर लिया था एवं अपने अपने जाव कब्जे के अनुसार व हिस्सेनुसार मौके पर बना लिये थे एवं काबिज काश्त है एवं वादी प्रतिवादी सं 2 काउन्टर क्लेमकर्ता को उसकी पूर्व मे हो रखे विभाजन में प्राप्त कब्जेशुदा भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहता है।

वादी व प्रतियादी सं 1 व 2 ने दावा दायरी से पूर्व मोखिक रूप से व आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है उसमे वादी ने स्वयं की भूमि पीछे तरफ ली थी एवं फ्रन्ट की भूमि पर कम हिस्सा लिया था एवं रास्ते के लिये भूमि ली थी एवं फ्रन्ट पर भूमि वादग्रस्त पर प्रतिवादी संख्या 2 काउन्टर क्लैमकर्ता को 1/3 हिस्से से अधिक भूमि दी गई थी एवं पीछे

30/5/25
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

की तरफ कम भूमि दी गई थी एवं वादी अब पूर्व में हुए विभाजन को मानने से इन्कार कर रहे है एवं प्रतिवादी संख्या 2 काउन्टर क्लैमकर्ता को भूमि वादग्रस्त के फ्रन्ट भू नाग की कब्जेशुदा भूमि विभाजन मे पूर्व से हो रखे विभाजन के मुताबिक देने को तैयार नही है।

भूमि वादग्रस्त के फ्रन्ट भाग की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य पूर्व में आपसी सहमती से विभाजन मौखिक रूप से हुआ था उसमे प्रतिवादी संख्या 2 काउन्टर क्लैमकर्ता को फ्रन्ट भाग पर हिस्सा 1/2 की भूमि दी गयी थी एवं प्रतिवादी सं 1 को 1/3 हिस्से की भूमि दी गयी थी एवं वादी को हिस्सा 1/6 हिस्से की भूमि दी गयी थी। क्योंकि वादी ने अपनी स्वेच्छा से पीछे की तरफ अधिक भूमि प्राप्त की थी एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि वादग्रस्त के पूर्व मे हो रखे विभाजन के अनुसार 1/3-1/3 हिस्सेनुसार अपने अपने जाव बनाकर काबिज काश्त है।

दिनांक 10.3.2019 को वादी दिगर व्यक्तियों के साथ गिरोह बनाकर भूमि वादग्रस्त पर आ गये एवं प्रतिवादी से 2 काउन्टर क्लेमकर्ता को उनकी फ्रन्ट भाग की कब्जेशुदा भूमि से जबरन बेदखल करने लगे एवं वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के मध्य दावा दायरी से पूर्व हुये आपसी सहमती से एवं मौखिक रूप से हुये विभाजन को मानने से इन्कार कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 2 काउन्टर क्लेमकर्ता को भूमि वादग्रस्त को काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा डाली एवं प्रतिवादी सं. 2 काउन्टर क्लेमकर्ता की फ्रन्ट भाग की कब्जेशुदा भूमि पर पुख्ता निर्माण करने की धमकिया दी। इस कारण प्रतिवादी सं 2 काउन्टर क्लेमकर्ता को उक्त काउन्टरक्लेम का वादकारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है एवं प्रतिवादी सं 1 ने भी उक्त दिनांक को काउन्टरक्लेम कर्ता को भूमि वादग्रस्त को कब्जे के मुताबिक काश्त करने में बाधा डाली थी इस कारण उनके विरूद्ध भी वादकारण उत्पन्न हुआ है।

प्रतिवादी से 2 काउन्टर क्लेनकर्ता को काउन्टर क्लेम का वादकारण दिनांक 10.03.2019 की घटना के कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। काउन्टर क्लेम की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है। काउन्टर क्लेम निर्धारित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

प्रार्थना काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार निवेदन है

(क) प्रतिवादी सं 2 का काउन्टर क्लेम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध बाबत विभाजन का डिक्री किया जाकर काउन्टर क्लेम के मद संख्या .1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त का विभाजन वादी व प्रतिवादी सं. 2 काउन्टर क्लेगकर्ता व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य पूर्व से मौखिक रूप से हो रखे विभाजन के मुताबिक जिसमे भूमि वादग्रस्त के फ्रन्ट भू भाग की भूमि पर काउन्टर क्लेमकर्ता प्रतिवादी सं 2 का 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा है एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 की भूमि पर कब्जा है एव वादी का हिस्सा 1/6 की भूमि

सत्यापित 1/5/25
उप अधीक्षक कलक्टर
कार्या जिला जयपुर

पर कब्जा है एवं सम्पूर्ण भूमि वादग्रस्त पर उक्त विभाजन के मुताबिक 1/3-1/3 हिस्सेनुसार जाव बनाकर वादी व प्रतिवादी से 1 व 2 का कब्जा है। उक्त कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए भूमि वादग्रस्त का विभाजन किये जाने का आदेश प्रदान करें व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 में 2 के खाते व लगान अलग अलग कायम करने का आदेश प्रदान करें।

(ख) कि प्रतिवादी सं 2 काउन्टर क्लेमकर्ता का काउन्टर कलेम बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का विरुद्ध वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद से 1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त के संबंध में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रतिवादी संख्या 2 काउन्टर क्लेगकर्ता को उसकी कब्जेशुदा भूमि को हिस्सेनुसार काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा नहीं डाले एवं न ही पुख्ता निर्माण करे एवं न ही जबरन बेदखल करे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे, इत्यादि।

दिनांक 17.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अमरीश जी शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10.06.2019 को वादी की ओर से जवाब काउण्टर क्लेम पेश किया गया व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् जवाब उल जवाब को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया। दिनांक 10.12.2019 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई और आदेश दिनांक 27.01.2020 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर जवाब उल जवाब को रिकार्ड पर लेने के आदेश पारित किये गये।

वादी की ओर से जवाब उल जवाब में इस आशय का कथन किया कि वादोत्तर में वर्णित नवीन तथ्यो का विस्तृत जवाब वादी की ओर से जवाब काउण्टर क्लेम में पेश है जो जवाब उल जवाब के साथ संलग्न है। अतिरिक्त कथन किया कि वास्तविकता यह कि ग्राम पीलिया, पटवार हल्का खतैपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1 कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण के हिस्सा 1/3 का वादी एंव शेष 2/3 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त आराजी का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1व 2 के के मध्य मौखिक रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को तहसील में चलकर विभाजन करने के लिए कहा बल्कि विरोध किया है। वादग्रस्त आराजी का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मनबंट अनुसार कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए सरस–नरस के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में आने–जाने के रास्ते को, सिंचाई के साधनो को ध्यान में रखते हुए बराबर–बराबर हिस्से में विभाजन कर रखा है और विभाजन में प्राप्त अपने–अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहे है।

सहायक कलक्टर
कोटपुतली जिला–जयपुर

जवाब उल जवाब मय अतिरिक्त कथन मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब उल जवाब मय अतिरिक्त कथन को स्वीकार कर वादी के वाद को डिक्री फरमाने की कृपा करे।

वादी की ओर से जवाब काउण्टर क्लेम पेश कर काउण्टर क्लेम में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का अतिरिक्त कथन किया गया कि वास्तविकता यह कि विवादित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण के हिस्सा 1/3 का वादी एंव शेष 2/3 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त आराजी का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मनबंट अनुसार कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए सरस–नरस के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में आने जाने के रास्ते को, सिंचाई के साधनो को ध्यान में रखते हुए विभाजन कर रखा है एंव उपयोग उपभोग कर रहे है तथा अपने अपने उपरोक्त हिस्से में फसल काश्त कर रहे है।

प्रतिवादी संख्या 2 काउण्टर क्लेमकर्ता ने वादी को हैरान व परेशान करने की नियत से यह काउण्टर क्लेम पेश किया है जो कि चलने योग्य नहीं है और सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त आराजीयात के हिस्सा 1/3 का वादी एंव 2/3 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और इसी प्रकार से अर्थात् बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अपने उपरोक्त हिस्से अर्थात् बराबर बराबर हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है।

वादग्रस्त आराजी का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2/ काउण्टर क्लेमेण्ट एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादग्रस्त आराजी का हिस्सा 1/3–1/3 अर्थात् बराबर–बराबर हिस्से का मनबंट अनुसार कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए सरस–नरस के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में आने जाने के रास्ते को व सिंचाई के साधनो को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जाता है एंव विभाजन उपरान्त खाता और लगान पृथक पृथक कायम करने के श्रीमान् तहसीलदार, बस्सी को निर्देश दिये जाते है तो मुझ वादी/ काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी सेडूराम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा।

अत जवाब काउण्टर क्लेम मय अतिरिक्त कथन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब काउण्टर क्लेम मय अतिरिक्त कथन मय शपथ पत्र को स्वीकार प्रतिवादी/ काउण्टर क्लेमकर्ता संख्या 2 के काउण्टर क्लेम का मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 03.02.2020 को वकील उभय पक्षकारान् ने वाद को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में कब्जे काश्त व आने–जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

[illegible] कलक्टर
बस्सी जिला–जयपुर

वकील पक्षकारान् को सुना गया और अन्य पक्षकारान के निवेदन पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2020 पारित की गई। जिसके तहत वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल कित्ता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीलिया पटवार हल्का खतैपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवगांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए, आने-जाने के रास्ते, सिंचाई के साधनो को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का उक्तानुसार पक्षकारो की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर कुर्रेजात व नक्शे तीन-तीन प्रतियो में भिजवाना सुनिश्चित करे। खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

दिनांक 10.11.2020 को तहसीलदार, बस्सी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2020/3924 दिनांक 09.11.2020 प्रस्तुत की गई जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 04.12.2020 में किया गया। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट शामिल मिसल है। दिनांक 18.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 24.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सुधीर शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 01.02.2021 को वकील वादी ने आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 09.02.2021 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार, बस्सी व पटवारी हल्का खतैपुरा से यह प्रकट करवाया जावे कि कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नोटिस क्यों नहीं दिये गये, यदि नोटिस दिये गये है तो तामील मूल सम्मन मान्य न्यायालय में पेश करने के आदेश प्रदान करे। दिनांक 07.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी0पी0सी0 का वकील वादी की ओर से जवाब न देकर सीधी बहस करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 14.10.2022 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई और आदेश दिनांक 14.10.2022 पारित उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और तहसीलदार बस्सी को उनके द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव वापिस लौटाकर निर्देश दिये गये कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1 कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीलिया तहसील तूंगा जिला जयपुर के सम्बन्ध में तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया गया कि आप दिनांक 02.11.2022 को स्वंय एंव

30 कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

भू0अ0 निरीक्षक व पट्वारी की टीम गठित कर मौके पर पहुँच कर न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 03.02.2020 की पालना करते हुए पुनः उभय पक्षो की उपस्थिति में कुर्रेजात व नक्शे तीन-तीन प्रतियो में भिजवाना सुनिश्चित करे। डिस्पेच नम्बर 6478 दिनांक 01.11.2022 द्वारा तहरीरी आदेश तहसीलदार तूंगा को भेजा गया। तहसीलदार, तूंगा को डिस्पेच नम्बर 418 दिनांक 23.01.2023 द्वारा पुनः तहरीर जारी की गई जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 19.01.2023 में किया गया।

दिनांक 04.04.2023 को तहसीलदार, तूंगा द्वारा पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक/ 2023/ भू0अ0/ 494 दिनांक 31.03.2023 प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 30.05.2023 को दौराने प्रशासन गांवो के संग अभियान में वादी ने उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी पुश्त पर ही आदेश दिनांक 30.05.2023 पारित कर तहसीलदार को संशोधित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया गया जो शामिल मिसल है। आदेश दिनांक 07.06. 2024 पारित कर तसीलदार, बस्सी को आदेशित किया गया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2020 की पालना में एंव दौराने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में प्राप्त आपत्ति दिनांक 30.05.2023 के अनुरूप आपत्तिकर्ता की आपत्ति को शामिल करते हुए दिनांक 26.06. 2024 को मौके पर जाकर उभय पक्षकारो की उपसिीति में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन प्रस्ताव एंव नक्शे तीन-तीन प्रतियो में भिजवाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार, तूंगा के पत्रांक भू0अ0/2024/1821 दिनांक 13.06.2024 द्वारा दिनांक 24.06.2024 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति की गई। जिस पर आदेश दिनांक 15.07.2024 पारित कर तहसीदार, बस्सी को निर्देशित किया गया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2020 की पालना में दौराने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में प्राप्त आपत्ति दिनांक 30.05.2023 के अनुरूप आपत्तिकर्ता की आपत्ति को शामिल करते हुए दिनांक 07.08.2024 को मौके पर उभय पक्षकारो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तीन-तीन प्रतियो में भिजवाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार, तूंगा द्वारा पत्रांक/2025/1576 दिनांक 21.04.2025 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत किया, जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 23.04.2025 में किया गया।

तहसीलदार, तूंगा के पत्रांक/2025/1576 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षकारान् द्वारा लिखित में कोई आपत्तियां पेश नहीं की गई। ऐसी स्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादीगण का दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और चूँकि प्रतिवादी संख्या 2 (काउण्टर स्टेमेण्ट) के स्थान पर उक्त विभाजन प्रस्ताव में अराधना लैंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर रामरखानी पुत्र देव कुमार जाति सिंधी, निवासी 18, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर राजस्थान को 1/3 हिस्से

30/5/25
कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

का रिकार्डेड सह-खातेदार होना प्रकट किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतएव वादीगण का वाद बाबत् विभाजन तहसीलदार, तूंगा के पत्रांक/2025/1576 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पीलिया पटवार हल्का खतैपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवगांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंम्बर 67 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर का विधिक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है-

न ा	खातेदारी विवरण	खसरा नंबर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	प्रस्तावित खातेदारी	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
त्या	महादेव पुत्र रामसहाय हि0 1/3 जाति जाट सा0 गोपालपुरा मोड, जयपुर राहिन बैंक ऑफ इण्डिया कल्याणपुरा, सेडूराम पुत्र रामसहाय हि0 1/3 जाति जाट सा0 गोपालपुरा मोड जयपुर, अराधना लैंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर रामरखानी पुत्र देवकुमार हि0 1/3 जाति सिंधी निवासी ए-13, गोकुल वाटिका जेएलएन मार्ग जयपुर खातेदार	64 65 66 67 68 69 70/1 ------ 07 ------	0.50 0.80 0.05 0.04 2.31 0.50 0.08 ------ 4.28 ------	बारानी-3 चाही-3 बारानी-3 बारानी-3 चाही-3 बारानी-3 चाही-3	(1) शामलात (मुताबिक जमाबन्दी अनुसार)	64/1मी. 65/1मी. 68/1मी. ------ 03 ------	0.0220 0.0480 0.05 ------ 0.12 ------	बारानी-3 चाही-3 चाही-3
					(2) सेडूराम पुत्र रामसहाय हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 गोपालपुरा मोड जयपुर खातेदार	65/3मी. 69/1मी. 68/2मी. ------ 03 ------	0.0134 0.3950 0.9783	चाही-3 बारानी-3 चाही-3
					(3) महादेव पुत्र रामसहाय हिस्सा जाति जाट सा0 गोपालपुरा मोड जयपुर राहिन बैंक ऑफ	68/3मी 69/2मी. ------ 02 ------	1.2817 0.1050 ------ 1.3867 ------	चाही-3 बारानी-3

30/5/25
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

				इण्डिया कल्याणपुरा खातेदार			
				(4) आराधना लैंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर रामरखानी पुत्र देवकुमार हिस्सा पूर्ण जात सिंधी निवासी ए-18, गोकुल वाटिका जेएलएन मार्ग जयपुर खातेदार	64/2मी. 66 67 70/1 65/2मी. ------- 05 -------	0.4780 0.05 0.04 0.08 0.7386 ------- 1.3866 -------	बारानी-3 बारानी-3 बारानी-3 चाही-3 चाही-3

पक्षकारान् अपने-अपने बैंक ऋण के चुकारे के लिए उत्तरदायी रहेगे। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। तहसीलदार, बस्सी मुताबिक [र्ण]य व डिक्री राजस्व अभिलेखो में अमल करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 58/2019 (60/2018)
जीसीएमएस नम्बर :-2019/00231

सेडूराम पुत्र रामसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम पीलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हालवासी प्लाट नम्बर 70, तेजाजी नगर, महेश नगर के पास, जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।

---वादी

-: बनाम :-

1- महादेव आयु 70 वर्ष, पुत्र रामसहाय, जाति जाट निवासी ग्राम पीलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, हालवासी प्लाट नम्बर 31. तेजाजी नगर महेश नगर के पास जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

2- लक्ष्मीनारायण आयु 55 वर्ष, पुत्र रामसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम पीलिया, तहसील बस्सी जिला जयपुर, हालवासी प्लाट नम्बर 264 श्रीगोपाल नगर महेश नगर के पास जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान के स्थान पर तहसीलदार, तूंगा के पत्रांक/2025/1576 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक अराधना लैंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर रामरखानी पुत्र देव कुमार जाति सिंधी, निवासी ए-18, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर राजस्थान।

तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

----- प्रतिवादीगण

- बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पालावाला जाटान।

- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी।

----- फोरमल प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

30/5/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिराल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्दई रूबरू ---------- मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत् विभाजन तहसीलदार, तूंगा के पत्रांक/2025/1576 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक अन्तिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान् अपने-अपने बैंक ऋण के चुकारे के लिए उत्तरदायी रहेगे। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। तहसीलदार, तूँगा मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व अभिलेखो में अमल करे। निर्णय को इस डिक्री पर्चा का जूज पढा जावे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ---------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 30.05.25 को जारी की गई।

मुहर

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत् इजराय			फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

30/5/25
शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर